

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-09/2024

दिनांक 07/10/2024

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्या: वीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720, दिनांक: जून 04, 2020 व पत्र संख्या: 41/6-पु-3/2020, दिनांक: 04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 06.10.2024 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना दुल्लहपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 147/24 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्तगण को दो अदद मो0सा0 व एक प्लास्टिक के झोले मे 1 किलो 2.50 ग्राम अवैध गांजा के साथ किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे, अभियान के तहत दिनांक 05.10.2024 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 147/24 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तों 1. राजू यादव उर्फ बिहारी पुत्र दुखन्ती यादव निवासी रामसिंहपुर थाना भुडकुडा गाजीपुर, 2. राजेश राम पुत्र कंचन राम निवासी पदुमपुर मैगाराय थाना भुडकुडा गाजीपुर को गिरफ्तार किया गया । जिनके कब्जे से 1250 ग्राम गांजा, 01 अदद मोटरसाईकल तथा अभियुक्तगणों की निशानदेही पर 01 अदद अन्य चोरी की मोटरसाईकल बरामद की गई । उक्त पंजीकृत मुकदमे में धारा 303(2), 317(2), 318(4), 338, 336(2), 340 बीएनएस तथा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बढोत्तरी कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. राजू यादव उर्फ बिहारी पुत्र दुखन्ती यादव निवासी रामसिंहपुर थाना भुडकुडा गाजीपुर ।
2. राजेश राम पुत्र कंचन राम निवासी पदुमपुर मैगाराय थाना भुडकुडा गाजीपुर ।

बरामदगी-

02 अदद मोटरसाईकल व 1 किलो 2.50 ग्राम अवैध गांजा

अपराधिक इतिहास-

1. राजू यादव उर्फ बिहारी पुत्र दुखन्ती यादव निवासी रामसिंहपुर थाना भुडकुडा गाजीपुर
1. मु0अ0सं0 490/20 धारा 379, 411 भादवि थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर ।
2. मु0अ0सं0-12/21 धारा 3(1) गै0 अधिनियम थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर ।
3. मु0अ0सं0 74/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर
4. मु0अ0सं0 75/18 धारा 411, 414 भादवि थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर ।
5. मु0अ0सं0 140/20, धारा 411, 413, 414, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर
6. मु0अ0सं0 142/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर ।

- 7.मु0अ0स0 283/22 धारा 411,414,419,420,467,468,471 भादवि थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर ।
- 8.मु0अ0स0 65/17 धारा 3/25/27/3/5/7 अधिनियम थाना बिरनों जनपद गाजीपुर ।
- 9.मु0अ0स0161/19 धारा 504,507 भादवि थाना चौका वाराणसी ।
- 10.मु0अ0स0 212/15 धारा 3(1) गै0 अधिनियम थाना जैतपुरा वाराणसी ।
- 11.मु0अ0स0 39/19 धारा 392 भादवि थाना लक्शा वाराणसी ।
- 12.मु0अ0स0 559/18 धारा 392,411 भादवि थाना लंका वाराणसी ।
- 13.मु0अ0स0 200/19 धारा 307 भादवि थाना लोहता वाराणसी ।
- 14.मु0अ0स0 201/19 धारा 411,420,467,468 भादवि थाना लोहता वाराणसी ।
- 15.मु0अ0स0 202/19 धारा 3/25 आमर्स एक्ट थाना लोहता वाराणसी ।
- 16.मु0अ0स0 147/24 धारा 303(2),317(2),318(4),338,336(2),340 बीएनएस 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर ।

अपराधिक इतिहास-

2. राजेश राम पुत्र कंचन राम निवासी पदुमपुर मैगाराय थाना भुडकुडा गाजीपुर ।
- 01.मु0अ0सं0 278/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर ।
- 02.मु0अ0सं0-22/222 धारा 307 भादवि थान भुडकुडा जनपद गाजीपुर ।
- 03.मु0अ0सं0-26/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भुडकुडा जनपद गाजीपुर ।
- 04.मु0अ0सं0- 83/23 धारा 302,506 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भुडकुडा जनपद गाजीपुर ।
- 05.मु0अ0सं0-2031/17 धारा 307,3394,411 भादवि थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर ।
- 06.मु0अ0सं0- 147/24 धारा 303(2),317(2),318(4),338,336(2),340 बीएनएस व 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर ।

02. थाना नन्दगंज पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार व लूट में प्रयुक्त 01 अदद तमंचा,02 अदद मोटरसाइकिल व लूट के 27800/-रु0 बरामद ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक- 06.10.2024 को थानाध्यक्ष कमलेश कुमार थाना नन्दगंज गाजीपुर मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर दिनांक- 04.10.2024 को समूह का पैसा वसूलने वाले एक व्यक्ति से लगभग 43000 रुपये लूटने वाले अभियुक्तों को ग्राम मुडरभा मोड़ तिराहे पर नहर के किनारे खंडहर मे एकत्रित होकर अगस्ता बाजार की एक ज्वेलरी की दुकान पर डकैती डालने की योजना बनाते वक्त पुलिस बल द्वारा सक्रियता दिखाते हुए 03 नफर अभियुक्तगण व 02 नफर बाल अपचारी को एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, एक अदद पिलास, एक अदद पेचकस, एक अदद लोहा काटने की आरी, दो अदद लोहे की सकरी तथा लूट के कुल 27800 रुपये व रसीद चैतन्य इण्डिया किन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड तथा लुट में प्रयुक्त दो अदद मोटर साइकिल के साथ पकड़ लिया गया । उक्त लूट के सम्बन्ध में दिनांक- 05.10.2024 को वादी मुकदमा श्री दिग्विजय चौहान पुत्र राजेन्द्र चौहान निवासी ग्राम पड़री (कोड़रा) थाना नगरा जनपद बलिया द्वारा थाना नन्दगंज पर लिखित तहरीर देकर मु0अ0सं0-179/2024 धारा-309(2) बी0एन0एस0 में अभियोग पंजीकृत करवाया गया था । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस का बढोत्तरी कर अभियुक्त गण का उपरोक्त का नाम प्रकाश में लाते हुए कारण गिरफ्तारी बताकर आज दिनांक 06.10.2024 को समय करीब 03.40 बजे रात्रि में हिरासत पुलिस मे लिया गया । डकैती की योजना बनाने तथा गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 180/2024 धारा 310(4), 310(5) BNS व 3/25 Arms Act थाना नन्दगंज

जनपद गाजीपुर में अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार शुदा अभियुक्त गण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ:- पूछताछ पर अभियुक्त गण अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए बताये है कि हम लोगों द्वारा दिनांक- 04.10.2024 को योजना बनाकर दो मोटर साईकिल से पर सवार होकर रेकी करके एक समूह वसुली करने वाले व्यक्ति से मुड़रभा मोड़ पर चन्द्रहास चौहान को तमन्चा दिखाकर हम सभी लोगों द्वारा उस व्यक्ति से लगभग 43,000 हजार रूपये और उसके पास जो बैंक सम्बन्धित कागजात थे लूट कर मौके से भाग गये थे। आज पुनः हम लोग अगस्ता बाजार की एक ज्वेलरी की दुकान पर डकैती डालने की योजना बना रहे थे और कुछ ही देर में अगस्ता बाजार जाने वाले थे कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त गण का नाम पता –

1. चन्द्रहास चौहान उर्फ संदीप चौहान पुत्र आजाद चौहान निवासी ग्राम लक्ष्मणपुर थाना नन्दगंज गाजीपुर उम्र करीब 21 वर्ष (एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार)
2. हरिभजन चौहान उर्फ शाका पुत्र जीवन चौहान निवासी ग्राम मुड़रभा थाना नन्दगंज गाजीपुर उम्र करीब 21 वर्ष
3. दीपक कुमार पुत्र मुराहू बिन्द निवासी ग्राम पहलवानपुर मिठाई की दुकान थाना नन्दगंज गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष

गिरफ्तार शुदा बाल अपचारी का विवरण -

1. विकास सिंह यादव पुत्र रामनवल सिंह यादव नि0 डण्डापुर थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 16 वर्ष
 2. अभिनन्दन चौहान पुत्र छोटेलाल चौहान नि0 मुड़रभा थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 16 वर्ष
- गिरफ्तारी का दिनांक व समय तथा स्थान- दिनांक- 06.10.2024 समय 03.40 बजे ग्राम मुड़रभा मोड़ तिराहे पर नहर के किनारे स्थित छोटेलाल चौहान के खंडहर में

बरामदगी-

एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, एक अदद प्लास, एक अदद पेचकस, एक अदद लोहा काटने की आरी, दो अदद सरिया लोहे की तथा लूट के रूपये 27800/- तथा रसीद चैतन्य इण्डिया किन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड सम्बन्धित मु0अ0सं0 179/2024 धारा 309(2) BNS तथा लूट में प्रयुक्त दो अदद मोटर साईकिल।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर